न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०)एक्ट, रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।

जमानत प्रार्थनापत्र सं०.1251/2026

UPRN010021112026

1– तनकू यादव उर्फ इन्द्रपाल, उम्र–लगभग 51 वर्ष, पुत्र–स्व० गयाप्रसाद,

2– भगवान सिंह उर्फ छुटकन, उम्र–लगभग 65 वर्ष, पुत्र–स्व० गयाप्रसाद,

निवासीगण–अकबरपुर, झबैया, थाना–रेउना, कानपुर देहात

....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र० राज्य

....अभियोजन

मु०अपराध संख्या–17/2024

धारा–323, 504, 506 भारतीय दंण्ड संहिता व

धारा –3(1)द, 3(1)ध व 3(2)5 क एस०सी०/एस०टी० एक्ट

थाना –रेउना, कानपुर नगर।

दिनांक–27.06.2026

01– यह जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण द्वारा मु० अपराध सं०– 17/2024, धारा–323, 504, 506 भारतीय दंण्ड संहिता व धारा –3(1)द, 3(1)ध व 3(2)5 क एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना –रेउना, कानपुर नगर के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

02– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राजू द्वारा थाना हाजा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस बावत पंजीकृत करायी कि *"मेरे गांव के रहने वाले तनकू यादव ने गेहूँ के खेत में मुझसे दवा डालने के लिये कहा था, लेकिन समय न होने के कारण मैंने दवा डालने से मना कर दिया था। जिस कारण रंजिस में तनक यादव, अपने बडे भाई छुटकन, अपने बेटे दीपक व पडोसी शिव वरन व कुछ अन्य लोगों के साथ कल रात लगभग 9:30 बजे मेरे घर के सामने आकर गाली–गलौज कर रहे थे। मेरे द्वारा विरोध करने पर इन लोगों ने मुझे व मेरे परिवार के साथ लाठी–डण्डों से मारपीट की व घर के बाहर रखे छप्पर में आग लगा दी व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। मारपीट से मेरे बेटे बादल, मेरी पत्नी शशि, मेरी बेटी सोनम, छोटे बेटे अश्विनी व मेरे भाई दिनेश को काफी चोटें आयी हैं।"*

Digitally signed by PRABHA NATH TRIPATHI
Date: 2026.06.27 14:49:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

03– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र के माध्यम से इस आशय का कथन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को फर्जी व झूंठा फंसाया गया है, वे बिल्कुल निर्दोष हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने किसी प्रकार की कोई मारपीट, गाली–गलौज व जाति सूचक गालियां व जान से मारने की धमकी नहीं दी है। उन्हें रंजिशन गांव की पार्टीबन्दी के कारण फंसाया गया है। घटना दिनांक–29.01.2024 को समय करीब–21:30 बजे की है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–30.01.2024 को 10:30 बजे दर्ज करायी गयी है, जो की 13 ½ घण्टे विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वादी मुकदमा ने अपनी तहरीर में जाति सूचक शब्दों व गालियों की बात नहीं बतायी है तथा अपने 161 दं०प्र०सं० के बयानों में बताया कि जाति सूचक शब्द बोले हैं, परन्तु क्या बोले हैं और गालियां क्या दी है, यह स्पष्ट नहीं किया है। लाठी–डण्डों से मारपीट करना बताया है, परन्तु किसी का रोल स्पष्ट नहीं बताया है, किसने–किसने मारा है। मेडिकल रिपोर्ट में चोटें साधारण बतायी गयी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का ड्राइवर दूध लेकर कानपुर जा रहा था, तभी रास्ते में निकलने को लेकर वादी मुकदमा ने मना किया तो उक्त ने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को बुलाया था, तब कहा सुनी हो गयी थी, तभी वादी मुकदमा ने धमकी दी कि तुम्हे हरजन एक्ट के मुकदमें में फंसा देंगे। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 60 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति हैं तथा अपनी जमानते दाखिल करने के लिए तैयार हैं। तद्नुसार जमानत आवेदन पत्र स्वीकार करने की याचना की गयी है।

04– राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

05– वादी मुकदमा को प्रेषित नोटिस का पूर्व में तामीला होने के बावजूद भी वादी पक्ष की ओर से मौखिक अथवा लिखित आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी पक्ष की ओर से आज कोई स्थगन/मौका प्रार्थना पत्र प्रस्तुत भी नहीं किया गया है। पूर्व तिथि पर भी वादी न्यायालय के समय उपस्थित नहीं था। न्यायालय द्वारा पूर्व तिथि को वादी को इस शर्त के साथ अवसर प्रदान किया गया था कि यदि नियत तिथि पर वादी सुनवाई/आपत्ति हेतु उपस्थित नहीं होता है, तो जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा संगत प्रपत्रों का अवलोकन कर समुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा।

06– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

07– प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को पूर्व में अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया था तथा उनके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित अपराध सात वर्ष तक

की सजा के दण्ड से दण्डनीय है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था Satender Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation & ANR. (2022)10 SCC 51 तथा Mahdoom Bava Vs. Central Bureau of Investigation (Order Dated-20-03-2023 Passed in SLP (Crl.) No-376-2023) के प्रकाश में तथा मामले के तथ्य परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं अभियुक्तगण की भूमिका के दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत प्रकट किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **तनकू यादव उर्फ इन्द्रपाल व भगवान सिंह उर्फ छुटकन** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा 50,000/– 50,000/– (पचास–पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन रिहा किया जाये–

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण वाद के निस्तारण में सहयोग करेंगे।
2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण साक्ष्य के स्तर पर नियत तिथियों में साक्षियों की उपस्थिति में कोई स्थगन प्राप्त करने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।
3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय में स्वयं आरोप एवं धारा–313 दं०प्र०सं० के कथन अभिलिखित किये जाते समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।
4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होंगे और बिना पर्याप्त आधार के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय द्वारा धारा–299 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
5. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विचारण को प्रभावित करने हेतु साक्षीगण को किसी प्रकार का प्रभाव अथवा दबाव नहीं डालेंगे और न ही साक्षीगण को प्रभावित करेंगे।

(प्रभा नाथ त्रिपाठी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/
विशेष न्यायाधीश (एस०सी/एस०टी०एक्ट)
रमाबाई नगर, (कानपुर देहात)।